राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. समाखान पुत्र खानुखान जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1.अकबर पुत्र मीरण 2. अब्दुला पुत्र मीरण 3. भलेना पुत्र मीरण 4. मैलेना पुत्र मीरण 5. अब्दुला पुत्र आलम 6. मामद पुत्र आलम 7. हुसैन पुत्र आलम 8. हिदाई पत्नी आलम जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 9.तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 303 / 2025

07/10/25 प्रार्थी समाखान पुत्र खानुखान जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता **श्री बाबूलाल विश्नोई** ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. अरटी के नया खाता संख्या 447 के खसरा संख्या 607/323 रकबा 0–0324 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के **स्थाई निषेधाज्ञा** का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. अरटी के नया खाता संख्या 447 के खसरा संख्या 607/323 रकबा 0–0324 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 11/12/2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

30/10/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली आज पेशी ली गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थना पत्र विड्रो करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उक्त उनवान के प्रकरण में प्रार्थी व विप्रार्थीगण के बीच में गांव के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा [illegible] राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर [illegible]। अब हमारे बीच किसी प्रकार का तनाजा [illegible] है कि उक्त उनवान के प्रकरण को [illegible]। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है। [illegible] उक्त उनवान [illegible] आवेदन संख्या 303/2025 को जरिए राजीनामा विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

समा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:04:10 IST
Reason: SelfAttested